उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 52/2010

रथु बेदिया वगै0 बनाम् शंकर सिंह वगै0

(10)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
/06/2014	**आदेश :–** भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा आई0 आर0 आर0 वाद संख्या– 03/08–09 रथु बेदिया एवं अन्य बनाम् शंकर सिंह एवं अन्य में दिनांक 12.07.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन दायर किया गया है। उभय पक्षों को विधिवत् सूचना निर्गत करते हुए सुनवाई प्रारम्भ की गई तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं समर्पित कागजातों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रश्नगत् भूमि के बावत् स्वत्व वाद मुंसफि हजारीबाग एवं स्वत्व अपील वाद एडीन्शल सब्ब–जज, हजारीबाग के न्यायालय में चला है। यह मामला जमाबन्दी की वैद्य/अवैद्य तथा स्वत्व निर्धारण से है। जिसका निर्धारण इस न्यायालय में संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी चाहें तो न्याय हेतु सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, रामगढ़। उपायुक्त, रामगढ़।	c.c. 8/1/2… 595/… 28.10.14 c.c. … 18/…